JPR5-263

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

क्रमांक.जेपीडी / मुअ(वा.) / सी– I / एफ.4(236) / प्रे. 686 दिनांक :– 19.4.05

आदेश

विषयः रबी की फसल के दौरान हुई ओला वृष्ठि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को फरवरी एवं मार्च, 2005 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट।

गत दिनों रबी की फसल के दौरान हुई ओलावृष्ठि से अनके गांवों मे फसल नष्ट हो गई थी। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे गांवों का सहायता विभाग द्वारा आंकलन करवाया जाकर इन गांवों को ओलावृष्ठि प्रभावित गांव घोषित कर दिया है। इस संबंध मे निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) ओलावृष्ठि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से उनके माह फरवरी एवं मार्च, 2005 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी है।

(2) इसके अतिरिक्त, जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।

(3) बिलों में दी गई छूट का का पुनर्भरण राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्ठि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्ताकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूची प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐगें। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा फरवरी एवं मार्च, 2005 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(आर.पी.गोयल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)